




विज्ञप्ति

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2023-24 में प्रवेश महाविद्यालयों में स्वीकृत मूल सीट संख्या के सापेक्ष लिये जायेंगे। कतिपय महाविद्यालयों ने उ0प्र0 शासन द्वारा विगत वर्षों में 33 प्रतिशत सीट वृद्धि को आधार मानते हुए मूल स्वीकृत सीट से अधिक प्रवेश ले लिये थे। जबकि शासन द्वारा वृद्धि की गई सीटें केवल उसी वर्ष के लिये ही लागू होती हैं। ऐसी स्थिति में यदि महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृत मूल सीट से अधिक संख्या में प्रवेश लिया जाता है, तो उन अतिरिक्त प्रवेशित छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

सत्र 2023-24 में प्रवेश के समय ही महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय पोर्टल पर विद्यार्थियों के विषय का चयन किया जायेगा। प्रवेश के उपरान्त विषय में परिवर्तन करने पर वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.06.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में रू0 200/- प्रति विषय परिवर्तन शुल्क देय होगा। यदि गैर प्रयोगात्मक विषय से प्रयोगात्मक विषय का चयन किया जाता है तो प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क रू0 200/- अतिरिक्त देय होगा।


10.07.23

(कैलाश बिन्द)

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
02. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
03. प्राचार्य/प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
04. स्थानीय सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को छात्र हित में निःशुल्क प्रकाशन किये जाने हेतु।
05. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
06. गार्ड फाइल।


10.07.23

सहायक कुलसचिव